R·8·22 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक. 16/8/22 को पेश हो।

6·8·22 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A श·का· अधिनियम के तहत अपनी सयुंक्त खातेदारी आराजी नम्बर 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 535, कुल किता 12 कुल रकबा 3.2119 हैक्टेयर भूमि ग्राम भोजपुरा पटवार हल्का टहूका तहसील माण्डल मे स्थित है. उक्त भूमि मे आवागमन एंव कृषि यन्त्र व कृषि उपज लाने ले जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी सं॰ 555/549, भूमि मे पश्चिमी मेड के सहारे-सहारे एंव उक्त आराजी सं॰ 555/549 के पश्चिमी सिरा मे स्थित आराजी सं॰ 547 किस्म नाला पर बनी हुई सरकारी पुलिया से होते हुए आराजी सं॰ 512, 513 भूमि मे उत्तरी मेड के सहारे-सहारे प्रार्थीगण की आराजी संख्या 527 तक 20 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की।

जबकि अप्रार्थीगण सं॰ 4 व 10 के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपने जवाब मे वर्णित अंकित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी आराजी सं॰ 512, 513 मे से प्रतिकर के बदले रास्ता दिया जाकर राजस्व रेकार्ड मे रास्ते के रूप मे दर्ज किये जाने मे सहमति जाहिर की है. जब कि अप्रार्थी सं॰ 2, 3, 5 लगायत 9 व 11 लगायत 15 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अपनी आराजियात के समस्त खातेदारो

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

को पक्षकार नहीं बनाकर पक्षकारो का कुसंयोजन किया है, तथा प्रार्थीगण को अपनी आराजियात मे आने-जाने हेतु मौके पर आराजी सं. 589/532 मे वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया एंव तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपर्ट का अध्ययन किया, तो जाहिर आया कि पूर्व मे अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश अमल मे लाये जा चुके है, तथा अप्रार्थीगण सं. 5, 7, 11 लगायत 15 का जवाब बंद किया जा चुका है व अप्रार्थी सं. 4 व 10 की ओर से सहमति जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण को अपनी आराजियात मे आने-जाने हेतु रास्ता दिये जाने हेतु प्रतिकर के बदले सहमति जाहिर की है तथा अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा तहसीलदार माडंल द्वारा मौका रिपर्ट तैयार करते वक्त उपस्थित होकर अपनी आराजी संख्या 555/549 मे से रास्ता देने व रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करवाने हेतु अनापत्ति जाहिर की है एंव केवल मात्र अप्रार्थी सं. 2, 3, 6, 8, 9 ने यह प्रारम्भिक आपत्ति उठाते हुए कि प्रार्थीगण ने अपनी आराजियात के सभी खातेदारो को पक्षकार संयोजित नही किया व प्रार्थीगण को अपनी आराजियात मे आने-जाने हेतु मौके पर आराजी सं. 589/537 मे वैकल्पिक रास्ता स्थित होने का तथ्य अंकित किया है, परन्तु तहसीलदार मांडल द्वारा प्रेषित अपनी मौका रिपर्ट से स्पष्ट है कि मौका निरीक्षण के दौरान अप्रार्थीगण उपस्थित थे तथा मौका रिपर्ट मे किसी भी प्रकार का कोई वैकल्पिक रास्ता होने का तथ्य नही आया है तथा प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी के सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाने से इस प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीगण के हितो पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ता है, ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य समझती हूं, अत:

उपखण्ड अधिकारी

हुक्म की तामील में जारी हुए

:: आदेश ::

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की संयुक्त आराजियात ग्राम भोजपुरा पटवार हल्का रहूँका तहसील माण्डल जिला-भीलवाड़ा में स्थित आराजी सं० 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 535 कुल किता 12 व कुल रकबा 3.21.19 हेक्टेयर भूमि पर आने-जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है, एंव मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, उपरोक्त भूमि में आने-जाने हेतु मौके पर आराजी सं० 549 किस्म चारागाह में स्थित रास्ते से लेकर अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी सं० 555/549 की पश्चिमी मेड़ के सहारे-सहारे एंव उक्त आराजी सं० 555/549 के पश्चिम दिशा में स्थित आराजी सं० 547 किस्म गैर मु० खाल/नाला पर बनी हुई सरकारी पुलिया से होते हुए अप्रार्थीगण सं० 2 लगायत 15 की आराजी संख्या 512 व 513 की उत्तरी मेड़ के सहारे-सहारे 16 फीट चौड़ाई का रास्ता तहसीलदार मांडल द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में अंकित प्रस्तावित रास्ता अनुसार रास्ता दिये जाने का आदेश दिया जाता है, 16 फीट चौड़ाई के रास्ते के काम में आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल राशि नकद या D.D. प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थीगण को भुगतान करे। अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते में आनी वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड में से कम की जाकर भूमि को राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज करते हुए नक्शे में तरमीम किया जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखवा जावें। तहसीलदार माण्डल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा